09.03.21. वकील उभय पक्ष उप०। वकील अपी० आज भी अखबार प्रति पेश करने बावत एक मौका और दिये जाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दि० 04.02.19 को अखबार साया सम्मन पेश किये तथा न्याया० के पत्रांक 95-96 दि० 12.02.19 से दैनिक भास्कर के धौलपुर संस्करण के सम्पादक को सम्मन प्रकाशित करने बावत पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् आज दिनांक तक अखबार साया सम्मन किये अखबार की प्रति पेश नहीं हुई। न्याय हित में कई बार अवसर दिये जा चुके है। अत पत्रावली आ० 9 नि० 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)